DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Tuesday, 04th October, 2011/Ashvin 12, 1933 (Saka)

No. 139

Sub:

DETENTION AND RELEASE OF MEMBER.

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, received from A.C.P, New Delhi Distt., New Delhi:

Hon'ble Member of Legislative Assembly Delhi; namely Sh. Shoaib Iqbal was detained u/r Section 65 of DP Act, 1978 at 1400 hours on 03th October, 2011 to maintain law and order and public peace, while he demonstrated at first barricade near to Parliament Street.

He was released at 1415 hours from the same place on the same day.

P.N. MISHRA Secretary

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2 विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी मंगलवार, 04 अक्टूबर, 2011 / अश्विन 12, 1933 (शक)

संख्या-139

सदस्य की गिरफतारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित ए.सी.पी, जिला—नई दिल्ली, नई दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:—

दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री शोएब इकबाल को दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा—65 के अंतर्गत दिनांक 03.10.2011 को 1400 बजे संसद मार्ग, पुलिस स्टेशन के निकट फर्स्ट बैरिकेड से प्रदर्शन करते हुए गिरफतार किया गया।

उन्हें उसी दिन उसी स्थान से 1415 बजे रिहा कर दिया गया।

पी.एन.मिश्रा सचिव